

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 91 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा के माह 03/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 30/11/201 8से 07/12/2018 तक श्री वी०पी० सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी०के० मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक तथा श्री नंदन सिंह लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.03.2017 से 24.03.2017 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:**विकास खण्ड पुरोला धौलादेवी, लमगडा, ताकुला, भैसियाछाना एवं हवालबाग के अंतर्गत सिंचाई नहर निर्माण/रखरखाव एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	337.28	337.28	665.64	665.4	-	-
2016-17	-	-	318.60	318.60	263.19	263.50	-	-
2017-18	-	-	332.59	332.59	147.21	116.77	-	30.44
2018-19 (up to 11/18)	-	-	210.93	210.93	302.87	3.36		

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2015-16	CSSR	-	151.20	151.20		
2016-17	CSSR	-	95.55	95.55		
2017-18	CSSR	-	103.01	77.02		25.99
2018-19 ()	-	-	-	-	-	-

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'बी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा (स्तर-2),
- अधीक्षण अभियन्ता , सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा,
- अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। विकास खण्डहवालबाग में एस0पी0ए0 मद के अन्तर्गत कोसी बैराज का निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक शून्य का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2013 तक की गई।

4. फार्म-51: माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है:-

भाग प्रथम ₹ 871922.32

भाग द्वितीय ₹ 228560.14

5. खण्ड के उचन्तलेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹ 924963.00

(ख) सामग्री क्रय ----

(ग) नगद परिशोधन ----

(घ) निक्षेप ₹ 51093410.00

(ङ) भण्डार ₹ (-) 1507897.00

भाग- III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण

क्रम सं०	निरीक्षणप्रतिवेदन संख्य	भाग- II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग- II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	53/2004-05	--	1	
2.	96/2005-06	1	1, 2	
3.	10/2007-08	1	1, 2	
4.	19/2008-09	--	1	
5.	09/2011-12	--	1, 2, 3, 4	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---------------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------------	-----------

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग- IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	
(1)	श्री नवीन सिंघल	अधिशासी अभियन्ता	(विगत लेखापरीक्षा से 24.06.2017 तक)
(2)	श्री अभिषेक राजपूत	अधिशासी अभियन्ता	(24.06.2017 से 24.07.2017 तक)
(3)	श्री वी०वी० पाण्डेय	अधिशासी अभियन्ता	(24.07.2017 से 12.09.2017 तक)
(4)	श्री विनोद कुमार	अधिशासी अभियन्ता	(12.09.2017 से अब तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अबतक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री वीरेन्द्र कुमार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र-॥, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)—उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-॥